HRACIANI VISIUM The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] No. 138] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2005/चैत्र 11, 1927

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2005/CHAITRA 11, 1927

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 17 मार्च, 2005

सं. फेमा 130/2005-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2005

सा.का.नि. 201(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की इसकी अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2005 कहलाएगी।
- (ii) ये संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमावली में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में,

- (क) अनुसूची 1 के संलग्नक अ में, पैरा (अ) में,
 - (i) मद सं. 1 निकाल दिया जाएगा तथा वर्तमान मद 2 से 12 को 1 से 11 के रूप में संख्या दी जाएगी।
 - (ii) वर्तमान मद सं. 2 में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :
 - ''प्राकृतिक गैस/एलएनजी पाइपलाइन्स''
- (ख) अनुसूची 1 के संलग्नक आ में दर्शाए गए टेबल में,
 - (i) वर्तमान मद सं. 5 को मद सं. 5(i) तथा (ii) के रूप में संख्या दी जाएगी तथा निम्नलिखित उप-मदें क्रमशः क्षेत्र, निवेश सीमा, क्ष्मर्थकलाप/मदों/शर्तों का वर्णन शीर्षक के अंतर्गत जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :

| (ii) पेट्रोलियम उत्पाद विपणन | 100% | तेल विपणन क्षेत्र में वर्तमान सेक्टोरल नीति तथा विनियामक ढांचे के अधीन |
|--|------|--|
| (iii) छोटे तथा मध्यम दोनों आकार के क्षेत्र में तेल की खोज | 100% | निम्निलिखित में निजी सहभागिता पर सरकार की नीति के अंतर्गत और अधीन : (क) तेल की खोज तथा (ख) नैशनल ऑइल कंपनियों द्वारा खोज किए गए क्षेत्र |
| (iv) पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन | 100% | सरकार की नीति तथा उससे संबद्ध विनियमों के अंतर्गत और अधीन |

(iii) मद सं. 21 के बाद, क्षेत्र, निवेश सीमा, कार्यकलाप/मदों/शर्तों के वर्णन शीर्षकों के अंतर्गत, निम्नलिखित क्रमश: जोड़े जाएंगे, अर्थात् :

| 22. हवाई परिवहन सेवाएं | 100%—अनिवासी भारतीयों के लिए | विदेशी एअरलाइन्स द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष |
|------------------------|------------------------------|---|
| (घरेलू एअरलाइन्स) | 49%—अन्य लोगों के लिए | किसी भी प्रकार की ईक्विटी सहभागिता की |
| | | अनुमति नहीं है। |

[फा. सं॰ 1/23/ई एम/2000/खण्ड-III]

एफ. आर. जोसफ, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 8, 2000 के सा.का.नि. सं. 406(अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया है और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किया गया है :—

दिनांक 02-03-2001 का सा.का.नि. सं. 158(अ)

दिनांक 13-03-2001 का सा.का.नि. सं. 175(अ)

दिनांक 14-03-2001 का सा.का.नि. सं. 182(अ)

दिनांक 02-01-2002 का सा.का.नि. सं. 4(अ)

दिनांक 19-08-2002 का सा.का.नि. सं. 574(अ)

दिनांक 18-03-2003 का सा.का.नि. सं. 223(अ)

दिनांक 18-03-2003 का सा.का.नि. सं. 225(अ)

दिनांक 22-07-2003 का सा.का.नि. सं. 558(अ)

दिनांक 23-10-2003 का सा.का.नि. सं. 835(अ)

दिनांक 22-11-2003 का सा.का.नि. सं. 899(अ)

दिनांक 07-01-2004 का सा.का.नि. सं. 12(अ)

ादेनांक 23-04-2004 का सा.का.नि. सं. 278(अ)

दिनांक 21-09-2004 का सा.का.नि. सं. 625(अ)

दिनांक 08-12-2004 का सा.का.नि. सं. 799(अ)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th March, 2005

No. FEMA 130/2005-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2005

G.S.R. 201(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 20/

2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 as amended from time to time, namely:—

1. Short Title and Commencement:

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2005.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000,

- (a) in Annexure A to Schedule 1, in para (A),
 - (i) Item No. 1 hsall be deleted, and the existing items 2 to 12 may be renumbered as 1 to 11
 - (ii) in existing item No. 2 the following may be added, namely: "Natural Gas/LNG Pipelines"
- (b) in the table shown in Annexure B to Schedule 1,
 - (i) existing item No. 5 shall be renumbered as item No. 5(i) and (ii) the following sub-items shall be inserted under the headings Sector, Investment Cap, Description of Activity/Items/Conditions respectively, namely:

| (ii) | Petroleum Product Marketing | 100% | Subject to the existing sectoral policy and regulatory framework in the oil marketing sector |
|--|--|---------------------------------|--|
| (iii) | Oil Exploration in both small and sized fields | medium 100% | Subject to and under the policy of Government on private participation in: |
| | • | | (a) exploration of oil and |
| | | | (b) the discovered fields of national oil companies |
| (iv) | Petroleum Product Pipelines | 100% | Subject to and under the Government Policy and regulations thereof. |
| (iii) ater item No. 21, under the headings Sector, Investment Cap, Description of Activity/Items/Confollowing shall be inserted respectively namely: | | | |
| | 22 Air Transport Services (Domestic Airlines) | 100% for NRIs 49% for others | No direct or indirect equity participation by foreign airlines is allowed. |

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. III] F.R. JOSEPH, Chief General Manager

Footnote:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:

G.S.R. No. 158 (E) dated 02-03-2001

G.S.R. No. 175 (E) dated 13-03-2001

G.S.R. No. 182 (E) dated 14-03-2001

G.S.R. No. 4 (E) dated 02-01-2002

G.S.R. No. 574 (E) dated 19-08-2002

G.S.R. No. 223 (E) dated 18-03-2003

G.S.R. No. 225 (E) dated 18-03-2003

G.S.R. No. 558 (E) dated 22-07-2003

G.S.R. No. 835 (E) dated 23-10-2003

G.S.R. No. 899 (E) dated 22-11-2003

G.S.R. No. 12 (E) dated 07-01-2004

G.S.R. No. 278 (E) dated 23-04-2004 G.S.R. No. 625 (E) dated 21-09-2004

G.S.R. No. 799 (E) dated 08-12-2004

अधिसूचना

मुंबई, 17 मार्च, 2005

सं. फेमा 131/2005-आर बी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2005

सा.का.नि. 202(अ). — विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की इसकी अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आर बी में आंशिक आशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2005 कहलाएगी।
- (ii) ये संशोधन 4 अक्तूबर 2004 * को लागू होंगे।

2. विनियमावली में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में, विनियम 10 में

- (अ) उप-विनियम अ में,
 - (i) ''भारत से बाहर निवासी व्यक्ति'' शब्दों के बाद, ''पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकाय न हो'' जोड़ा जाएगा;
 - (ii) खण्ड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :
 - ''(ख) किसी भारतीय कंपनी, जिसकी गतिविधियां अनुसूची 1 के संलग्नक अ के अंतर्गत आती हैं, मद सं. 1, 2 और 3 से इतर है, और उसमें विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के अधीन हैं, के शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर अंतरित किए जाएंगे, बशर्ते वह निम्नलिखित के अधीन बिक्री के रूप में किया जाता है।
 - (i) कि भारतीय कंपनी, जिसके शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर के अंतरण का प्रस्ताव है, किसी प्रकार की वित्तीय सेवा प्रदान नहीं करती है;
 - (ii) कि अंतरण सेबी (शेयरों का मूल अधिग्रहण और टेकओवर्स) विनियमावली, 1997 के प्रावधानों के क्षेत्र में नहीं है; और
 - (iii) कि संबंधित पार्टियां ऐसे अंतरणों हेतु समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मूल्य निर्धारण लगाने के मार्गदर्शी सिद्धांत, प्रलेखीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करती हैं।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए ''वित्तीय सेवाओं'' का अर्थ रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित बैंकिंग और गैर-बैंकिंग कंपनियों, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा विनियमित बीमा कंपनियों और किसी अन्य वित्तीय विनियामक द्वारा विनियमित अन्य कंपनियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रदत्त सेवाएं हैं।''

4(आ) उप-विनियम आ में,

- (i) खण्ड (1) को हटा दिया जाएगा;
- (ii) खण्ड (2) को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :

भारत से बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमित के बगैर किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर भारत में निवासी किसी व्यक्ति को बिक्री द्वारा अंतरित कर सकता है, बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर ऐसे अंतरणों के लिए यथानिर्दिष्ट मूल्य निर्धारण के मार्गदर्शी सिद्धांत, प्रलेखीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है।

[फा. सं॰ 1/23/ई एम/2000/खण्ड-III]

एफ.आर. जोसफ, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: (i) * यह उस तारीख का उल्लेख है, जिस तारीख को, वित्तीय सेवा क्षेत्र (अर्थात् बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और बीमा) से इतर क्षेत्रों में बिक्री द्वारा किसी भारतीय कंपनी के शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के निवासी से अनिवासियों को अंतरण (अभिदाता के शेयरों के अंतरण सहित) के संबंध में सरकार (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) से पूर्व अनुमोदन ग्राप्त करने की आवश्यकता से छूट को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को 4 अक्तूबर 2004 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 16 द्वारा निदेश जारी किए गए थे।

(ii) मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 8, 2000 के सा.का.नि. सं. 406(अ) में भाग Ⅱ, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं :—

दिनांक 02-03-2001 का सा.का.नि. सं. 158(अ)

दिनांक 13-03-2001 का सा.का.नि. सं. 175(अ)

दिनांक 14-03-2001 का सा.का.नि. सं. 182(अ)

दिनांक 02-01-2002 का सा.का.नि. सं. 4(अ)

दिनांक 19-08-2002 का सा.का.नि. सं. 574(अ)

दिनांक 18-03-2003 का सा.का.नि. सं. 223(अ)

दिनांक 18-03-2003 का सा.का.नि. सं. 225(अ)

दिनांक 22~07-2003 का सा.का.नि. सं. 558(अ)

दिनांक 23-10-2003 का सा.का.नि. सं. 835(अ)

दिनांक 22-11-2003 का सा.का.नि. सं. 899(अ)

दिनांक 07-01-2004 का सा.का.नि. सं. 12(अ)

दिनांक 23-04-2004 का सा.का.नि. सं. 278(अ)

दिनांक 21-09-2004 का सा.का.नि. सं. 625(अ)

दिनांक 08-12-2004 का सा.का.नि. सं. 799(अ)

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th March, 2005

No. FEMA 131/2005-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2005

G.S.R. 202(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 as amended from time to time, namely:—

1. Short Title and Commencement:

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2005.
- (ii) They shall come into force from the date of 4th day of October, 2004*.

2. Amendment of the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, in Regulation 10.

- (A) in sub-regulation A---
- L after the words "person resident outside India", the words "not being erstwhile OCBs" shall be added.
- II. clause (b) shall be substituted as under namely:-
 - "(b) any share/convertible debenture of an Indian Company whose activities fall under Annexure B to Schedule 1, other than items nos. 1, 2 and 3 and subject to the Sectoral Limits specified therein, shall transfer such shares/debentures without prior approval of Government and RBI if the same is by way of sale subject to the following:
 - (i) that the Indian Company whose shares or convertible debentures are proposed to be transferred is not engaged in rendering any financial service:

- (ii) that the transfer does not fall within the purview of the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997; and
- (iii) that the concerned parties adhere to pricing guidelines, documentation and reporting requirements for such transfers as may be specified by Reserve Bank, from time to time.

Explanation - For the purpose of this Regulation, "financial services" shall mean service rendered by banking and nonbanking companies regulated by the Reserve Bank, insurance, companies regulated by Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) and other companies regulated by any other financial regulator as the case may be."

- (B) in sub-regulation B-
- (i) clause (1) shall be deleted;

clause (2) shall be substituted; namely:-

"A person resident outside India, may transfer share or convertible debenture of an Indian Company, without the prior permission of the Reserve Bank, by way of sale, to a person resident in India subject to the adherence to pricing guidelines, documentation and reporting requirements for such transfers as may be specified by Reserve Bank from time to time."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. III]

F.R. JOSEPH, Chief General Manager

Footnote:-

- (i)* The date on which the directions were issued to Authorise Dealers vide AP (Dir Series) circular No. 16 dated 4th October, 2004 to implement the Government decision to dispense with the requirement of obtaining prior approval of the Government (FIPB) in respect of transfer of shares/convertible debentures, by way of sale, from residents to non-residents (included transfer of subscriber's shares) of an Indian company in sectors other than financial service sector (i.e. Banks, NBFCs and Insurance).
- (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:

G.S.R. No. 158(E) dated 2-3-2001

G.S.R. No. 175(E) dated 13-3-2001

G.S.R. No. 182(E) dated 14-3-2001

G.S.R. No. 4(E) dated 2-1-2002

G.S.R. No. 574(E) dated 19-8-2002

G.S.R. No. 223(E) dated 18-3-2003

G.S.R. No. 225(E) dated 18-3-2003

G.S.R. No. 558(E) dated 22-7-2003

G.S.R. No. 835(E) dated 23-10-2003

G.S.R. No. 899(E) dated 22-11-2003

G.S.R. No. 12(E) dated 7-1-2004

G.S.R. No. 278(E) dated 23-4-2004

G.S.R. No. 625(E) dated 21-9-2004

G.S.R. No. 799(E) dated 8-12-2004

शुद्धिपत्र

मुंबई, 17 मार्च, 2005

सा.का.नि. 203(अ).—मार्च 23, 2004 के सा.का.नि. 207(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय के फरवरी 5, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 110/2004-आरबी के अंत में निम्नलिखित जोडा जाएगा:

पाद टिप्पणी:— प्रधान विनियमावली मई 5, 2000 के सं. सा.का.नि. 384(अ) द्वारा सरकारी राजपत्र में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी।

उपरोक्त के अनुसार परिशोधित और आशोधित प्रधान विनियमावली प्रभावी रूप से लागू रहेगी।

[फा. सं. 1/23/ई एम/2000/खण्ड-III]

एफ. आर. जोसफ, मुख्य महाप्रबंधक

CORRIGENDUM

Mumbai, the 17th March, 2005

G.S.R. 203(E).—In the Notification No. FEMA 110/2004-RB dated February 5, 2004 of Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, Central Office published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide No. G.S.R. 207(E) dated March 23, 2004, the following shall be added at the end.

Footnote:— The Principal Regulations were published in the official Gazette vide No. G.S.R. 384(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i).

That as rectified and modified as aforesaid, the Principal Regulations shall remain in full force and effect.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. III]

F. R. JOSEPH, Chief General Manager

शुद्धिपत्र

· मुंबई, 17 मार्च, 2005

सा.का.नि. 204(अ).—मार्च 23, 2004 के सं. सा.का.नि. 208(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय के मार्च 6, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 112/2004-आरबी के अंत में निम्नालिखित जोड़ा जाएगा:

पाद टिप्पणी:— प्रधान विनियमावली मई 5, 2000 के सं. सा.का.नि. 386(अ) द्वारा सरकारी राजपत्र में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी और बाद में अगस्त 25, 2000 के सं. सा.का.नि. 674(अ), जुलाई 8, 2002 के सं. सा.का.नि. 476(अ), दिसंबर 31, 2002 के सं. सा.का.नि. 854(अ), जुलाई 9, 2003 के सं. सा.का.नि. 531(अ) तथा जुलाई 9, 2003 के सं. सा.का.नि. 533(अ) द्वारा आशोधित की गई।

उपरोक्त के अनुसार परिशोधित और आशोधित प्रधान विनियमावली प्रभावी रूप से लागू रहेगी।

[फा. सं॰ 1/23/ई एम/2000/खण्ड-III]

एफ. आर. जोसफ, मुख्य महाप्रबंधक

CORRIGENDUM

Mumbai, the 17th March, 2005

G.S.R. 204(E).—In the Notification No. 112/2004-RB dated March 6, 2004 of Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, Central Office published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide No. G.S.R. 208(E) dated March 23, 2004, the following shall be added at the end.

Footnote:— The Principal Regulations were published in the official Gazette vide No. G.S.R. 386(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide No. G.S.R. 674(E) dated August 25, 2000, No. G.S.R. 476(E) dated July 8, 2002, No. G.S.R. 854(E) dated December 31, 2002, No. G.S.R. 531(E) dated July 9, 2003, No. G.S.R. 533(E) dated July 9, 2003.

That as rectified and modified as aforesaid, the Principal Regulations shall remain in full force and effect.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. III]

F. R. JOSEPH, Chief General Manager

शुद्धिपत्र

मुंबई, 17 मार्च, 2005

सा.का.नि. 205(अ).—मार्च 23, 2004 के सा.का.नि. 209(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय के मार्च 6, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 113/2004-आरबी के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

पाद टिप्पणी:— प्रधान विनियमावली मई 5, 2000 के सा.का.नि. सं. 393(अ) द्वारा सरकारी राजपत्र में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी और बाद में अगस्त 25, 2000 के सा.का.नि. सं. 675(अ), फरवरी 12, 2001 के सा.का.नि. सं. 89(अ), फरवरी 19, 2001 के सा.का.नि. सं. 103(अ), मार्च 21, 2001 के सा.का.नि. सं. 200(अ), जनवरी 2, 2002 के सा.का.नि. सं. 5(अ), अप्रैल 9, 2002 के सा.का.नि. सं. 261(अ), जुलाई 2, 2002 के सा.का.नि. सं. 465(अ), जुलाई 8, 2002 के सा.का.नि. सं. 474(अ), नवम्बर 8, 2002 के सा.का.नि. सं. 755(अ), ______, के सा.का.नि. सं. 756(अ), मार्च 18, 2003 के सा.का.नि. सं. 224(अ), मई 14, 2003 के सा.का.नि. सं. 398(अ), जून 3, 2003 के सा.का.नि. सं. 452(अ), जून 4, 2003 के सा.का.नि. सं. 453(अ), जनवरी 7, 2004 के सा.का.नि. सं. 11(अ), तथा जनवरी 7, 2004 के सा.का.नि. सं. 13(अ) द्वारा आशोधित की गई।

उपरोक्त के अनुसार परिशोधित और आशोधित प्रधान विनियमावली प्रभावी रूप से लागू रहेगी।

[फा. सं॰ 1/23/ई एम/2000-खण्ड-[[]]

एफ.आर. जोसफ, मुख्य महाप्रबंधक

CORRIGENDUM

Mumbai, the 17th March, 2005

G.S.R. 205(E).—In the Notification No. FEMA 113/2004-RB dated March 6, 2004 of Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, Central Office published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. No. 209(E) dated March 23, 2004, the following shall be added at the end.

Footnote:— The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 393(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide G.S.R. No. 675(E) dated August 25, 2000, G.S.R. No. 89(E), dated February 12, 2001, G.S.R. No. 103(E) dated February 19, 2001, G.S.R. No. 200(E) dated March 21, 2001, G.S.R. No. 5(E) dated January 2, 2002, G.S.R. No. 261(E) dated April 9, 2002, G.S.R. No. 465(E) dated July 2, 2002, G.S.R. No. 474(E) dated July 8, 2002, G.S.R. No. 755(E) dated November 8, 2002, G.S.R. No. 756(E) dated _____, G.S.R. No. 224(E) dated March 18, 2003, G.S.R. No. 398(E) dated May 14, 2003, G.S.R. No. 452(E) dated June 3, 2003, G.S.R. No. 453(E) dated June 4, 2003, G.S.R. No. 11(E) dated January 7, 2004, G.S.R. No. 13(E) dated January 7, 2004.

That as rectified and modified as aforesaid, the Principal Regulations shall remain in full force and effect.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. III]

F. R. JOSEPH, Chief General Manager